


16.04.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
अधिवक्ता ~~का~~ प्रार्थी एवं प्रार्थीगण
के नाम से अलग-अलग समय पर तीन
बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि
अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-
पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिटाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम-पैरवी
व अदम-हाजिरी में इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारिखल दफ़तर
हो व नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(फ़ास्ट ट्रेक) बाड़मेर

